न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 404 / 17 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2017/ 00426)

1. राधाकृष्ण
2. राधारमन
3. राधागोविन्द
4. राधाबल्लभ

पिसरान सीतोली

5. अनुज
6. अजीत

पुत्रान राधेश्याम

7. सुशीला पत्नी राधेश्याम

8. ममता
9. हेमलता
10. छमता

पुत्रीयान राधेश्याम

जाति धाकड निवासी विचपुरी पट्टी तहसील वैर जिला भरतपुर

....................अपीलान्ट

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र देवकीनन्दन जाति धाक़ड निवासी नगला धाकरान कुम्हार गली के पास गणेश मंदिर के सामने नाई की मण्डी आगरा उ0प्र0

.............असल रैस्पोडेन्ट

2. तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

.............तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 13.4.2017 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 480 दिनांक 5.9.1989 सनद पट्टा दिनांक 29.8.1989

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 11.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 13.4.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार वैर ने अपने आदेश दिनांक 5.9.1989 से अपीलान्टस के हक में मुताबिक सनद नामान्तरकरण संख्या 480 दिनांक 5.9.1989 स्वीकृत किया गया। जिसके खिलाफ असल रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रामभरोसी द्वारा तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के यहां अपील पेश की जिस पर अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.4.2017 पारित किया गया। इसमें यह मानते हुये कि रैस्पोडेन्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और ना ही जिस दस्तावेज के आधार पर यह नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, उसका भी भलिभांति परीक्षण किया गया। तहत अदालत में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत सनद/पट्टे की नकल को अप्रमाणित होने के कारण साक्ष्य में ग्राहय योग्य नहीं मानते हुए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर सुनवाई का मौका दिए जाने तथा अपीलान्ट के हक में जारी सनद/पट्टे की जांच हेतु प्रकरण तहसीलदार वैर को आदेश दिनांक 13.4.2017 के द्वारा रिमाण्ड की गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई व उभयपक्ष को तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय 13.04.2017 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि खसरा नंबर 1855 व 1890 जो कि कस्टोडियन भूमि है, का मैनेजिंग आफीसर उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा दिनांक 29.08.1989 को अपीलान्ट को कीमतन आवंटन किया गया था। इस आवंटन के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामांतकरण संख्या 480 दिनांक 05.09.1989 को तहसीलदार वैर द्वारा खोला गया था। जिसका जमाबन्दी में अमलदरामद कर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। आवंटन के आधार पर अपीलान्ट आवंटन की दिनांक से ही विवादित भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के हक में स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 480 की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसको अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार वैर को प्रेषित किया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अपीलान्ट के हक में जो नामांतकरण स्वीकृत किया गया था वह नामांतकरण मैनेजिंग आफीसर वैर की ओर से जारी आवंटन आदेश की पालना में खोला गया था। विवादित आराजी पर अपीलान्टान का कब्जा होने के कारण मैनेजिंग आफीसर द्वारा अपीलान्ट से कस्टोडियन भूमि की कीमत जमा कराने के पश्चात अपीलान्टान के हक में सनद पट्टा जारी किये जाने के आदेश दिया। रैस्पोडेन्ट का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है इस कारण रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई लोकस्टेण्डाई नहीं था। अपील पेश करने से पूर्व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहत न्यायालय में धारा 96 जा0दी0 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

पेश कर अपील पेश करने की कोई इजाजत नहीं ली। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि प्रार्थना पत्र पेश करते समय न्यायालय से इजाजत प्राप्त नहीं की जाती है तो ऐसी अपील कानूनी रूप से मेन्टेनबिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को नजरअंदाज करते हुये अपीलधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिल मंसूखी है। इसके अलावा जब तक अपीलान्ट के पक्ष में जारी सनद/पट्टा निरस्त नहीं हो जाता तब तक सनद पट्टे के आधार पर भरे गए नामांतकरण पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में सनद पट्टा आज भी आस्तित्व में है। जब तक बिना सनद पट्टा निरस्त कराये रैस्पोडेन्ट नम्बर एक को नामान्तरकरण सख्या 480 के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का जो आदेश दिया है, वह भी त्रुटीपूर्ण है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत में प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी, जो कि इसी बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य थी, किन्तु अदालत मातहत ने रैस्पोडेन्ट की अपील को मियाद में मानने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है और ऐसे शून्य व क्षेत्राधिकार बाहर पारित आदेश के खिलाफ अपील पेश करने में कोई मियाद नहीं होती है। फिर भी मियाद के बिन्दु पर अधिकार सुरक्षित रखते हुये अपील के साथ अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपीलान्ट के हक में आवंटित की गई भूमि को रैस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। अपीलान्ट की ओर से भूमि की कीमत जमा कराए जाने के बाद विवादित भूमि की खातेदारी भी अपीलान्ट को प्राप्त हो गई है। रैस्पोडेन्ट का किसी तरह का कोई लोकस्टंडाई नहीं होने के बाबजूद भी अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को गलत रूप से स्वीकार किया है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि पर स्टेट बैंक आफ इंडिया से ऋण भी लिया हुआ है। वक्त अपील विवादित भूमि स्टेट बैंक आफ इंडिया के पक्ष में राहिन के रूप में दर्ज होने के बाबजूद भी रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत में न तो बैंक को पक्षकार बनाया गया और न ही अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सनद/पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं किए जाने के आधार पर ही इसे साक्ष्य में ग्राहृय नहीं होना माना है। जबकि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत नकल चालान संख्या 34 व 35 राशि 457 व 713 रूपये तथा मैनेजिंग आफीसर भरतपुर के कार्यालय की ओर से जारी आवंटन आदेश संख्या 93 दिनांक 29.08.1989 की असल प्रति से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को मैनेजिंग आफीसर वैर द्वारा खसरा नंबर 1855 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नंबर 1890 1 बीघा 7 बिस्वा का कीमतन आवंटन किया गया था। अपीलान्ट की ओर से उक्त राशि जमा कराए जाने के बाद नामांतकरण संख्या 480 दिनांक 05.09.1989 को खोला गया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पक्ष में

नामांतकरण मैनेजिंग आफीसर के द्वारा जारी आवंटन आदेश की पालना में खोला गया था। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में यह भी निर्देश दिए हैं कि मूल सनद/पट्टे की जांच की जावे। जबकि नामांतकरण संबंधी प्रकिया में सनद/पट्टे की जांच किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी 2014 पेज 397 व आर.आर.डी 1994 पेज 486 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सक्षम न्यायालय के आदेश एवं डिकी की पालना में खोले गए नामान्तकरण को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसी तरह आर.आर.डी 1988 पेज 628 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि किसी भी नामान्तकरण को प्रभावित पक्षकार द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट किसी प्रकार से कोई प्रभावित पक्षकार नहीं होने के बाबजूद अदालत मातहत में इस तथ्य को नजर अंदाज कर अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.04.2017 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार वैर की ओर से स्वीकृत नामांतकरण संख्या 480 दिनांक 05.09.1989 यथावत रखा जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 480 सनद/पट्टा 849 दिनांक 29.8.1989 के आधार पर स्वीकृत हुआ है। इस प्रकरण में दौराने पारित अपीलाधीन आदेश मुख्यतः मूल सनद/पट्टा के संदर्भ में परीक्षणोपरान्त राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना मुनासिब रहता है, क्योंकि यह न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की मांग है, किन्तु इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। जिस दस्तावेज यानि सनद/पट्टा के अधार पर यह नामान्तरकरण स्वीकार हुआ, उसका भी कोई परीक्षण ट्रायल अदालत में नहीं किया गया। यह सही है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, किन्तु यह आगे चल कर जमावन्दी के इन्द्राजों को आधार वनती है। ऐसी स्थिति में किसी भी नामान्तकरण को स्वीकार करते समय सरसरी तौर पर मौका एवं रिकार्ड एवं हितधारी पक्षकारों को सुना जाना मुनासिव रहता है। ताकि प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से तत्सयम रूबरू हुआ जा सके किन्तु इस प्रकरण में उक्त सभी बिन्दुओं को अनदेखा किया गया। जबकि पारदर्शी न्याय के लिये यह आवश्यक था। इसके अलावा जिस सनद पट्टा की प्रति न्यायालय तहत में पेश की गई, वह भी प्रमाणित नहीं थी और किसी भी न्यायालय में अप्रमाणित दस्तावेज ग्राहय योग्य नहीं रहता है और ना ही अप्रमाणित दस्तावेज के आधार पर कोई निर्णय दिया जा सकता है। उक्त तमाम तथ्यों की अनदेखी किये जाने के परिणामस्वरूप ही तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा इस प्रकरण को पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया गया है जो कि न्यायोचित है ताकि सभी पक्षकारो की विधिवत सुनवाई हो सके और अपने–अपने

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

11.5.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पक्ष में साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण के वास्तविक तथ्य रिकार्ड पर आ सके तदोपरान्त परीक्षण न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित किया जा सके। ऐसी स्थिति में तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.04.2017 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 28.06.2017 को मियाद बाहर अपील पेश किए जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2017 अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए होने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु लागू नहीं होने का उल्लेख करते हुए अपील को अन्दर मियाद पेश किए जाने का अनुरोध किया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से विभिन्न नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किए जाने से बचना चाहिए। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.04.2017 के द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार वैर को प्रतिप्रेषित किया है। उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट के पक्ष में जारी मूल सनद/पट्टे की जांच करने के निर्देश निर्देश देते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर नामांतकरण के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं, जो कि उचित प्रतीत होता है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में यह उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि का अपीलान्ट गैर खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट की गैर खातेदारी को बिना किसी सक्षम आदेश

के कलमजन कर पट्टा/सनद के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.04.2017 में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज व उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से की गई बहस का उल्लेख करते हुए यह माना है कि सनद/पट्टे के आधार पर नामांतकरण खोले जाने से पूर्व गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होने के साथ–साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल था, परन्तु उक्त नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिए जाने तथा जिस दस्तावेज को नामांतकरण स्वीकृति का आधार बनाया गया है उसका परीक्षण नहीं किया गया। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत सनद/पट्टे की नकल अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, जो ग्राह्य योग्य नहीं रहती है। उक्त अभिमत के साथ प्रकरण तहसीलदार वैर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रकरण में मूल सनद/पट्ट की जांच करें व उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर नामांतकरण के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित करें। नामांतकरण संख्या 480 दिनांक 05.09.1989 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1855 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा व 1890 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मु.गंगादेवी बेवा देवकीनन्दन व रामभरोसी पुत्र देवकीनन्दन वहिस्सा बराबर की गैर खातेदारी में दर्ज थी। विवादित भूमि के संबंध में नामांतकरण स्वीकृत किए जाने से पूर्व रैस्पोडेन्ट जो कि गैर खातेदार दर्ज थे को सुनवाई का अवसर दिए जाने का कोई रिकार्ड अपीलाधीन नामांतकरण संबंधी पत्रावली में नहीं है और न ही उक्त नामांतकरण में ही इसका कोई उल्लेख है। जहां तक वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि रैस्पोडेन्ट को अदालत मातहत में अपील पेश करने का कोई लोकस्टेण्डाई नहीं था या रैस्पोडेन्ट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश किए जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य थी तो उक्त तर्क इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट विवादित भूमि का गैर खातेदार था। जिसमें उसका हित निहित था। इस कारण रैस्पोडेन्ट का अपील पेश करने का लोकस्टेण्डाई था। जहां तक अपील के मियाद बाहर होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किए जाने का आदेश दिया है। अदालत मातहत की ओर से मियाद के संबंध में लिए गए निर्णय में अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी 214 पेज 397 व आर.आर. डी 1994 पेज 486 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट जो कि गैर खातेदार था को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना उसकी गैर खातेदारी कलमजन कर अपीलान्ट के पक्ष में नामांतकरण खोला गया है, जो कि उचित नहीं है। अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

11.9.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

होते हैं। इसी तरह आर.आर.डी 1988 पेज 486 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त से भी हम सादर सहमत हैं, परन्तु विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माना है। जिसमें अदालत हाजा की ओर से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत दस्तावेज की अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई थी, जिसे अपीलाधीन निर्णय में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना माना है, जो कि उचित है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में तहसीलदार वैर को मूल सनद/पट्टे की जांच करने व उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर न्यायसंगत आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से मैनेजिंग आफीसर वैर द्वारा जारी किए गए सनद/पट्टे व चालान की असल प्रति अदालत हाजा में सी.पी.सी के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है, परन्तु इन दस्तावेज के आधार पर नामांतकरण खोले जाने या स्वीकृत किए जाने से पूर्व रैस्पोडेन्ट जो कि विवादित भूमि का गैर खातेदार था को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना आवश्यक था, जो कि उक्त प्रकरण में साबित नहीं होता है। वैसे भी अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार वैर को उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करने का निर्देश प्रदान किया है। अपीलान्ट वक्त सुनवाई उक्त दस्तावेज तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं, परन्तु रैस्पोडेन्ट जो कि विवादित भूमि का गैर खातेदार था को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 480 दिनांक 05.09.1989 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.04.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

11.9.2023

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर